न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/5702/2003/झुन्झुनू

1– रामनाथ पुत्र जैसाराम जाट निवासी डूडियां की ढाणी तन देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

------ अपीलांट

बनाम

1– भागचन्द पुत्र परसाराम जाट
2– रामेश्वर पुत्र परसाराम मृतक जरिये वारिसानः–
2/1. नारायणीदेवी पत्नी स्व0 रामेश्वर
2/2. देवेन्द्र पुत्र स्व0 रामेश्वर
2/3. मोहनसिंह पुत्र स्व0 रामेश्वर
2/4. सुमित्रा
2/5. श्रवणी
2/6. गुलाब पुत्री स्व0 रामेश्वर
3– गिरधारी पुत्र परसाराम
4– सरदारा पुत्र परसाराम
5– महावीर पुत्र परसाराम
6– श्योचन्द पुत्र कानाराम, समस्त जाति जाट निवासी डूडियां की ढाणी तन देवगांव तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

------ रेस्पो0

खण्ड पीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री मनीष पाण्ड्या, अभिभाषक रेस्पो0
(3) श्री हगामी लाल, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3

निर्णय **दिनांक :– 09.12.2024**

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू अपील

संख्या 152/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–08–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के समक्ष वाद इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी का वाद में अंकित वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार कर भूमि खसरा नं0 137 के उत्तरी 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं0 1 से 5 को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 3 व 5 ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के कथनों को अस्वीकार किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में आवश्यक तनकीयात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए दिनांक 21–08–2001 को वादी का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27–08–2003 से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–08–2001 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 27–08–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष की बहस अपील पर सुनी गयी।

4– अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट के पक्ष में विधिवत् तनकीयात पर विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया था, किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट/वादी के पक्ष में हुये रजिस्टर्ड गोदनामे को संदिग्ध मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि रजिस्टर्ड गोदनामे को निरस्त करने हेतु रेस्पो0 द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष

कोई चाराजोही नहीं की गई है। अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड गोदनामा है जिसको किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, तब तक उक्त गोदनामे की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है, किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा उसको अमान्य करार करने में कानूनी भूल की है। खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। चूंकि धारा 43(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मोरगेजी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा दिये गये समय सीमा में समाप्त होते ही मोरगेजी को अतिक्रमी माना जाएगा और अतिक्रमी किसी भी प्रकार से अधिकार पाने का कोई अधिकारी नहीं है। अपीलांट/वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है और अपने पिता के समय से ही उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जे में चला आ रहा है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी थे किन्तु विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यों को ना मानने में विधिक भूल कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू के निर्णय व डिक्री दिनांक 27-08-2003 को निरस्त किया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 21-08-2001 को बहाल रखने का अनुरोध किया।

5- प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपीलांट के तर्कों को विरोध करते हुए तर्क दिये कि विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ ने अपने निर्णय से वादी का वाद डिक्री किया है जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने अपने निर्णय से अधीनस्थ न्यायालय ने केवल गोदनामे के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जो तनकी सं0 1 में दिये गये विवेचन से संदिग्ध मानते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की है जो उचित एवं न्याय संगत है। इसके अलावा यह तर्क दिया कि गोदनामें पर गोद देने वाले के माता पिता के हस्ताक्षर नहीं है। गोद जाने वाले की उम्र गोदनामा निष्पादन के समय 24 वर्ष है। वादी ने गोद जाने के बाद भी विभिन्न विलेखों में अपने मूल पिता के नाम का उपयोग किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य आदेशों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी का पेश किया जिसमें विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–08–2001 से वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी का काश्तकार घोषित किया जिसके संबंध में रेस्पो0 का यह तर्क है कि केवल गोदनामे के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री किया जबकि गोदनामें पर गोद देने वाले के माता पिता के हस्ताक्षर नहीं है। गोद जाने वाले की उम्र गोदनामा निष्पादन के समय 24 वर्ष है। वादी ने गोद जाने के बाद भी विभिन्न विलेखों में अपने मूल पिता के नाम का उपयोग किया है। इस संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध रजिस्टर्ड गोदनामा विधितः निष्पादित है या नहीं, गोदनामा प्रभावहीन है या नहीं, गोदनामा विधिक उपबंधों से असंगत है या नहीं। इन विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की गई विवेचना उचित प्रतीत नहीं होती है। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन की रोशनी अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–08–2003 निरस्त की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–08–2001 की पुष्टि की जाती हैं। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि गोदनामें के संबंध में रेस्पो0 सक्षम सिविल न्यायालय में विधिनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया) **(हेमन्त कुमार गेरा)**

सदस्य **अध्यक्ष**